न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सह विशेष–न्यायाधीश बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 320 / 2026

मो0 सददाम बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड सं0 214 / 2023

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 337, 338, 332, 333, 353, 504, 506, 153ए, 295, 379, 380, 435, 436, 427, 109, 120बी एवं 27 शस्त्र अधिनियम ।

06.03.2026

अभियुक्त **मो0 सददाम** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता मो0 अली ईमाम तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

संक्षेप में सूचक धर्मेन्द्र पंडित, अंचल अधिकारी, सदर बिहारशरीफ का टंकित आवेदन में कथन है कि दिनांक 31.03.2023 को रामनवमी पर्व के अवसर पर हिन्दू संगठन के बजरंग दल / विश्व हिन्दू परिषद के तत्वाधान में शहर के विभिन्न मोहल्ले से जुलूस / झांकी के शकल में निकल कर श्रम कल्याण मैदान बिहारशरीफ से बाबा मणिराम अखाड़ा तक जाने के लिए एक विशाल शोभा यात्रा निकला था। ज्योंहि झांकी / शोभा यात्रा गगनदीवान कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो शोभा यात्रा के अगल बगल मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, जिनके द्वारा गलत टिप्पणी करने पर दोनों पक्षों के बीच बकझक, रोड़ेबाजी एवं पत्थरबाजी होने लगा। पुलिस बल द्वारा शांति बनाये रखने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग एक दूसरे पर एवं पुलिसकर्मी तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के उपर जान मारने की नीयत से अंधाधुंध रोड़ेबाजी एवं फायरिंग करने लगे जिससे पु0अ0नि0 रबिन्द्र कुमार ततमा, रामनाथ प्रसाद एवं सिपाही कंचन कुमार एवं अन्य कई लोग जख्मी हो गये। अपराधकर्मी द्वारा पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास किया गया। आत्म सुरक्षार्थ हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया। गगन दीवान के पास एक झोपड़ी, दो चक्का वाहन, गोदाम, बस, कबड़खाना का दुकान, पिकअप भान, चार चक्क्ता वाहन, सोगरा कॉलेज के पीछे अरूण के मार्के के गोदाम वगैरह को आगजनी कर जला दिया गया जिससे लाखों रूपए का क्षति हुआ। इस भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान स्थानीय लोगों एवं घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फूटेज एवं मोबाइल विडियों के आधार पर इस वाद के 79 अन्य सह अभियुक्तगण को नामजद अभियुक्त बनाया गया तथा पांच सौ से एक हजार व्यक्तियों को चिन्हित कर अभियुक्त बनाया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। स्थानीय मोहल्ले की गंदी राजनीति एवं पूर्व दुश्मनी के कारण उन्हें इस वाद में झुठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से इस न्यायालय में या किसी श्रेष्ठ न्यायालय में कोई भी जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सह विशेष–न्यायाधीश बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 320 / 2026

मो0 सददाम बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड सं0 214 / 2023

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 337, 338, 332, 333, 353, 504, 506, 153ए, 295, 379, 380, 435, 436, 427, 109, 120बी एवं 27 शस्त्र अधिनियम ।

लगातार

06.03.2026

आवेदक घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था। इनके विरूद्व आगजनी करने, फायरिंगकरने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। इन पर सिर्फ सामान्य एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। इस वाद के कई सह अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अग्रिम तथा नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक पर लगाया गया आरोप बेटर फूटिंग का है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा यह स्वीाकार करते है कि इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अग्रिम तथा नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्राथमिकी 79 नामित अभियुक्त एवं पांच सौ से एक हजार अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध रामनवमी पर्व के अवसर पर धार्मिक उन्माद फेलाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, फायरिंग करने, नारे लगाने, पत्थरबाजी कर विधि–व्यवस्था को पूर्णतः भंग करने एवं पुलिस बल को जख्मी करने के आरोप के लिए दर्ज किया गया है। आवेदक के विरूद्व आगजनी करने, फायरिंग करने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या शांति भंग करने का कोई सीधा आरोप सूचक द्वारा नहीं लगाया गया है। इन पर सिर्फ सामान्य एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। इस वाद के कई अन्य सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 क्रमशः 1285 / 25, 733 / 25, 731 / 25, 121 / 2026 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0,

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सह विशेष–न्यायाधीश बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 320 / 2026

मो0 सददाम बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड सं0 214 / 2023

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 337, 338, 332, 333, 353, 504, 506, 153ए, 295, 379, 380, 435, 436, 427, 109, 120बी एवं 27 शस्त्र अधिनियम ।

लगाातार

06.03.2026

2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदक को 10,000 / – रु0 के जमानत तथा उसी राशि समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।